Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JAN-FEB, 2019, VOL- 6/49

समावेशी शिक्षा के विकास में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रासंगिकता

विनोद कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
शिक्षा संकाय
आर0आर0पी0जी0कालेज अमेठी

शोध–सार

शिक्षा वह पूँजी है जो वास्तविक रूप के किसी देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। यह व्यवहारिक रूप से सामान्य मानव को विशेष मानव बनाती है। इसमें वह क्षमता है कि यह मानव के अन्दर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकाल कर उसे महानता की ओर ले जाती है। वेदों में यह वर्णन है कि 'सा विद्या या विमुक्तयें' अर्थात् विद्या वह है जो हमें वास्तविक रूप से मुक्ति प्रदान करती है। यह मुक्ति हमें वास्तविक तौर पर अज्ञानता से हीं नहीं अपितु जीवन के हर उस नकारात्मक तत्व से मुक्ति दिलाती है जो हमारे विकास को किसी न किसी तरह प्रभावित करता है।

प्रस्तावना :–

वर्तमान भारतीय परिदृश्य में शिक्षा को देखा जाय तो भारतीय शिक्षा आज अपने मात्रात्मक विकास तथा गुणात्मक विकास में वह स्थान नहीं पा सकी है जैसा कि भारत जैसे देश से अपेक्षा की जाती है। स्वतंत्रता के बाद तमाम निजी, सामाजिक एवं सरकारी प्रयास के बावजूद भी भारत की साक्षरता दर 2011 में केवल 74 प्रतिशत के आस–पास रही। भारत में जितनी जनसंख्या निरक्षर लोगों की है उतनी तो चीन, भारत एवं अमेरिका को छोड़ दिया जाय तो किसी देश की जनसंख्या भी नहीं है।

जहाँ तक भारत में शिक्षा के अन्य विकास का प्रश्न है तो उसके कई कारक हैं। जिनमें मुख्य कारण निम्नलिखित हैं–

1. शिक्षा की पूर्ण अवसंरचना का अभाव।
2. गरीबी।
3. बेरोजगारी।
4. संसाधन का असमान वितरण।

यदि हम ऊपर दिये गये समस्त कारकों को एक ही केन्द्र में रखें तो वह केन्द्र समावेशी शिक्षा के रूप में उभर कर सामने आता है।

समावेशी शिक्षाः

समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो वास्तविक तौर पर विशिष्ट एवं सामान्य दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षा दिलाने का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि यह वह व्यवस्था है जो हर बालक तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करती है।

वस्तुतः समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों के विद्यालय शिक्षा में समावेशन व उसकी प्रक्रियाओं की व्यापक समझ की इस कदर आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं दोनों में ही सन्दर्भित करके समझा जाय क्योंकि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्तित्व की गरिमा को प्राप्त मूल्यों के रूप में निरुपित किया गया है, जिसका इशारा समावेशी शिक्षा की तरफ ही है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हमारा संविधान जाति वर्ग, धर्म आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके प्ररिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न–भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके।

इस प्रकार कुल मिलाकर समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। यह सही मायने में 'सर्व शिक्षा' जैसे शब्दों का ही रूपान्तरित रूप है, जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है 'विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा।''

शिक्षा सम्बन्धी सभी आधुनिक चर्चाओं में दिव्यांग बच्चों के लिए हमेशा से ही एक संवेदनशीलता रही है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोगों जैसे–कोठारी कमीशन ने भी इस हेतु सुझाव दिया था। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो अप्रैल 2010 से लागू है, ने दिव्यांगता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 :

यह अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम है, इस अधिनियम में निम्नलिखित मुख्य प्राविधान है –

1. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार इसे संविधान के अनुच्छेद–21क में स्थापित किया गया है।
2. निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिये आरक्षित रहेंगी।
3. विद्यालय गाँव के अन्दर ही होंगे तथा कोई विद्यालय गाँव से 3 कि0मी0 दूर नहीं होगा।
4. विद्यालय में शिक्षा के लायक हर प्रकार की अवसंरचना रहेगी।
5. हर विद्यालय में दोपहर का भोजन की व्यवस्था रहेगी।
6. विद्यालय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर पंचायत की देख–रेख में रहेंगे।
7. समस्त मानकों को पूरा करने के बाद ही विद्यालय को मान्यता दी जायेगी।
8. किताबें तथा विद्यालयी पोशाक मुफ्त उपलब्ध कराया जायेगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 का समावेशी स्वरूप :

उपरोक्त दिये गये प्राविधानों को देखने के बाद यह स्पष्ट पता चलता है कि यह व्यावहारिक रूप से एक समावेशी अधिनियम है। जिसमें वें समस्त प्रावधान हैं जो वास्तविक तौर पर बच्चों को विद्यालय तक लाने में पर्याप्त हैं। यह अधिनियम मूल रूप से गरीब बच्चों के लिए बेहद कारगर अधिनियम है। इसका लाभ उठाकर बाल मजदूर भी शिक्षा पा सकते हैं। क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे अपने भोजन की व्यवस्था करें। इस अधिनियम के आ जाने के बाद उनके लिए भोजन तथा वस्त्र की समस्या नहीं रहेगी।

यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि इसके माध्यम से विद्यालय में समस्त अवसरंचना उपलब्ध हो जाएगी। अर्थात् विद्यालय में पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित सामग्री के अलावा वे सारी वस्तुएँ भी उपलब्ध रहेंगी जो बालकों के मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए चाहिए जिसमें खेल–कूद के सामान तथा कौशल निर्माण की वस्तुएँ प्रमुख हैं।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

इस अधिनियम के माध्यम से हर निजी विद्यालय में 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी जो कुल मिलाकर उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिनके आस–पास निजी विद्यालय है। यह अधिनियम गुणात्मक समावेशी विकास के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। क्योंकि इसमें हर एक बालक के समान विकास की पूर्ण अवधारणा व्याप्त है।

जहाँ तक विद्यालयों पर पंचायतों के नियंत्रण का प्रश्न है तो इससे वास्तविक तौर पर विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। यह अधिनियम मूलरूप से ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में क्रान्ति लाने का कार्य करेगी।

निष्कर्षः

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक समावेशी अधिनियम है। इसमें वह समस्त गुण है तो शिक्षा के मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के विकास के लिए अति आवश्यक है। इस अधिनियम द्वारा दिया गया मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा विशिष्ट तथा सामान्य, अमीर तथा गरीब हर प्रकार के बालकों तक शिक्षा सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम में शिक्षा के विकास के लिए हर प्रकार के प्रयास को एक समान रूप से प्रोत्साहित करता है। इस अधिनियम में यह भी गुण है कि यह बच्चों के शिक्षा पाने के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम द्वारा शिक्षा के पूर्ण विकास का नवीन पथ निर्मित होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. भारत (2017): प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली।
2. मदान,पूनम (2014) : उदयभान भारतीय समाज में शिक्षक, अग्रवाल प्रकाशन ,आगरा।
3. योजना (मई 2016): प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली।
4. लक्ष्मीकान्त, एम (2016): भारत की राज्य व्यवस्था, टाटा एवं मैग्राहिल्स प्रकाशन , दिल्ली।
5. लाल, रमन बिहारी (2014): समकालीन भारत और शिक्षा अग्रवाल प्रकाशन , आगरा।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies